राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐ

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी पावटा (जयपुर)

क्रमांकः– 1605 दिनांकः–01-06-2022

सीमित निविदा सूचना

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F 2(4), एफडी/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 21(1)(321) पूल आईसीडीएस/19/पार्ट–ii दिनांक 20.05.2022 के अनुसार इस कार्यालय को टैक्सी परमिट कार की आवश्यकता है, जिसका किराया अधिकतम रूपये 24500/– प्रति माह 1500 किलोमीटर तक वित विभाग द्वारा निर्धारित है यदि राज्य सरकार/निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज0 जयपुर द्वारा दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा। किन्तु भारत सरकार के नॉर्मस के अनुसार वर्ष के दौरान राशि 2.50 लाख से अधिक किसी भी परिस्थिति में व्यय नहीं होगा। वाहन किराये पर लेने हेतु निम्न शर्ते निर्धारित की गई है:–

1. वाहन टैक्सी परमिट एवं बीमा युक्त होना आवश्यक है जो 5 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उक्त किराया राशि मय डीजल /पैट्रोल/मरम्मत एवं ड्राइवर सहित है।
2. वाहन मालिक को 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं नियमानुसार अमानत राशि जमा करानी होगी।
3. समस्त प्रकार के टैक्स वाहन मालिक को चुकाने होंगे एवं संवेदक द्वारा दरें समस्त करों सहित (यथा जीएसटी आदि यदि लागू हो) प्रस्तुत करनी होगी।
4. विधि सम्मत कटौतियां जैसे आयकर/सेवाकर/जीएसटी आदि भुगतान के वक्त नियमानुसार काटे जावेंगे।
5. अन्य शर्ते वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(4)एफडी/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 21(1)(321) पूल आईसीडीएस/19/पार्ट–ii दिनांक 20.05.2022 के अनुसार होगी।
6. सीमित बोलीदाता फर्म/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दरें वर्ष 2022–2023 तक (दिनांक 28.02.2023 तक) के लिए मान्य होगी।
7. कार्यादेश प्रभावी अनुबन्ध एवं अमानत राशि जमा होने की तिथि से होगा।
8. वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
9. वाहन की सेवाऐं संतोषप्रद नहीं होने पर वाहन के अनुबंध को बिना नोटिस दिये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
10. वाहन चालक मय वाहन के प्रतिदिन कार्यालय समय पर उपस्थित रहेगा।

अतः इच्छुक ट्रैवल्स ऐजन्सी/वाहन मालिक अपने प्रस्ताव मय गाड़ी के कागजातों के (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन नं. की प्रति,गाड़ी के बीमा की प्रति) दिनांक 07.06.2022 को 12:30 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समस्त प्राप्त निविदाएं निविदा–दाताओं के समक्ष दिनांक 07.06.2022 को दोपहर 02:30 PM बजे खोली जायेगी।

(भुवनेश शर्मा)
बाल विकास परियोजना अधिकारी
पावटा, (जयपुर)

क्रमांक 1606-1609
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक 01-06-2022

1. श्रीमान् उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान उपनिदेशक (एसीपी) समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि सीमित निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
3. नोटिस बोर्ड /कार्यालय/तहसील/पंचायत समिति पावटा ।
4. रक्षित पत्रावली।

01/06/22
बाल विकास परियोजना अधिकारी
पावटा, (जयपुर)

Scanned with CamScanner